


प्रारूप 2 (नियम 11 (4) अधिनियम)



कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (CHHATARPUR), मध्य प्रदेश

दस्तावेज संख्या - तिथि - ई-मेल -

क्रमांक-09050292/स्कूल आई.डी. - 472 प्रति,

दिनांक-

प्रबंधक,

(GANDHI CENTENARY MEMORIAL CONVENT SR. SEC. SCHOOL)

विषय: नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के अंतर्गत के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अर्थात् स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पर दिनांक 18/01/2019 तथा इस संबंध में स्कूल से पठाया गया स्वयंसेवा रिपोर्ट के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -GANDHI CENTENARY MEMORIAL CONVENT SR. SEC. SCHOOL, GANDHI CENTENARY MEMORIAL CONVENT SR. SEC. SCHOOL NOWGONG(BKD), CHHATARPUR DIST. M.P. को क्या Nursery से क्या 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2019 से 31/03/2022 तक कालाधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संवर्द्धन की कोई बातचीत किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
- स्कूल नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (अध्याय 1) तथा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (अध्याय 2) के उपधारा का पालन करेगा।
- स्कूल अपने पत्रों की सीमा के अंतर्गत सभी कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दश में, स्कूल यदि संभावना प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बच्चों को उस अनुपात में नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देना जिस रूप में उसके वार्षिक आवंटित व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवंटित संभवतया अनुमान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पध्दती प्रविष्टि के अधीन होगा बशर्ते कि वह स्कूल पूर्व स्कूल (पि स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के अन्तर्गत (क) से (ग) के उपबंध पि स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- घर 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक: 10 बैंक खाता उपलब्ध करना होगा।
- सोसायटी/विकास बोर्ड की अतिरिक्त बालों का संरक्ष नहीं करेगा तथा बालकों या उनके पालक या अभिभावक के साथ किसी उपरोक्त प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
 - (क) आयु के संकट के अभाव में;
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित बालाधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश पाया गया है;
 - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जनसंख्या या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
 - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में प्रवेश या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
 - किसी बालक को धार्मिक या सामाजिक रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई छोटे परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अर्थात् प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपधारा के अनुसार नि:शुल्क/अनिवार्य बाल शिक्षा वाले बालकों को सम्मिलित किया जाएगा;
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अर्थात् निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की शर्तों की जागी, बशर्ते कि बालकों में समर्थता जो शिक्षक इस अधिनियम के धारक होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के धारक होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी।
 - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अर्थात् निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
 - चायटैट रीजिम की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे।
 - स्कूल स्वीकृत प्राधिकायी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों का अनुसरण करेगा।
 - अधिनियम की धारा 19 में निर्दिष्ट सभी अनुसूचित स्कूल में अतिरिक्त सुविधा के अभाव में स्कूल को बंद होने का नोटाफिस किया जाएगा।

Signature valid

Digitally signed by
Sanku Kumar Sharma
Date: 2019.01.11
04:03:30 +05'30'
Reason: I am the signatory
Location: N/A

Manager
GCM Convent Sr. Sec. School
Nowgong, Chhatrapur Dist.
M.P. 471201

- स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में निर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदंड बनाए रखे जाएंगे। अतिरिक्त निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं-

क्र.	सुविधाएं	घंटे में हों	वास्तविक स्थिति
8	स्कूल के अंदर की स्थिति	दरम दर अक्षर	स्वयं का अक्षर
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	45206	45206
10	स्कूल का निर्माण क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	21296	21296
11	खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	24000	24000

अधीनस्थता का विवरण					
क्र.	वर्ग	घंटे में हों		वास्तविक स्थिति	
		Room/s at per ATE	संख्या	संख्या	अंशतः अक्षर (वर्ग फीट में)
1	कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष	22	440	22	440
2	बायोलाजी कक्षा-मैथ-अंग्रेजी कक्षा-सह-पठन/अक्षरक कक्षा	5	170	5	170
3	आवस्यक-सह-अक्षर	0	0	0	0

अन्य सुविधाएं					
क्र.	वर्ग	घंटे में हों		वास्तविक स्थिति	
		संख्या	अंशतः अक्षर (वर्ग फीट में)	संख्या	अंशतः अक्षर (वर्ग फीट में)
1	कक्षा सभी सुविधाओं तक पहुंच बनाए रखे गए हैं।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	पठन पठन सामग्री (हस्तलिखित) सुविधा उपलब्ध है।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3	शैक्षणिक एवं खेल उपकरण (हस्तलिखित) सुविधा उपलब्ध है।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4	पुरुषों की संख्या	9000	9000		
5	लड़कियों की संख्या	10	10		
6	पेयजल सुविधा का प्रकार	Tube Well	Tube Well		
7	पेयजल सुविधा की संख्या	30	2		
8	शौचालय का प्रकार (आंतरिक/बाह्य/मिश्रित)	Indian	Indian		
9	सड़कों के लिए पुरुषक सौचालयों की संख्या	10	10		
10	सड़कों के लिए पुरुषक सौचालयों की संख्या	10	10		
11	शौचालय: बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	0	0		
12	क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है? हां/नहीं	हाँ	हाँ		

- वेबे संतुष्टि/सिद्ध किए जाएंगे तथा चायटैट एकाउंट/रेटार संस्थापित होंगे और उचित तैयारी विवरण निधियों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक संस्थाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता बोर्ड नंबर-09050292, एवं आईएमबीडी (DISE) 23020704831 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह बोर्ड संयुक्त सम्मिलित किए जाएंगे।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा परस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा योजना/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए और स्कूल राज्य सरकार/देशीय प्राधिकारी को ऐसे अनुरोधों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संगठन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरंतर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएंगे।
- सोसायटी/विकास बोर्ड कोई भी, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तों संलग्न उपबंध "नोन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपधारा और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पर उक्त तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता खारज से ली जाएगी।

Manager
GCM Convent Sr. Sec. School
Nowgong, Chhatrapur Dist.
M.P. 471201

Principal
GCM Convent Sr. Sec. School
Nowgong, Chhatrapur Dist.
M.P. 471201